Shodh Sangam Patrika
E-ISSN: 3049-0707, P-ISSN: 3049-172X, Volume 2 | Issue 2 | (Apr – Jun 2025)

एक राष्ट्र, एक चुनाव: भारत में लोकतांत्रिक सुधार की संभावनाएँ, चुनौतियाँ और नीतिगत दृष्टिकोण

महेंद्र पाल
प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान,
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खिंयासरिया, जिला- फलोदी, राजस्थान

सारांश:

"एक राष्ट्र, एक चुनाव" की अवधारणा भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को एक साथ आयोजित करने की अवधारणा है, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता, आर्थिक बचत और शासन में स्थायित्व सुनिश्चित करना है। यह शोध-पत्र इस अवधारणा के ऐतिहासिक संदर्भ, संभावित लाभ, कार्यान्वयन की चुनौतियों और भारत की जटिल सामाजिक-राजनीतिक संरचना पर इसके प्रभाव का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। ऐतिहासिक रूप से, भारत में 1951 से 1967 तक एक साथ चुनाव आयोजित किए गए थे, लेकिन बाद में यह व्यवस्था भंग हो गई। वर्तमान में, बार-बार होने वाले चुनाव शासन पर वित्तीय और प्रशासनिक बोझ डालते हैं, जिससे नीति निर्माण और विकास कार्य बाधित होते हैं। एक राष्ट्र, एक चुनाव लागू होने से बार-बार होने वाली निर्वाचन प्रक्रिया की लागत में कमी, शासकीय स्थिरता और नीतिगत निरंतरता सुनिश्चित हो सकती है। यह मतदाताओं के लिए भी सुविधाजनक हो सकता है, क्योंकि यह मतदान प्रक्रिया को सरल बनाएगा। हालांकि, इस अवधारणा के कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ हैं। संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता, सभी राजनीतिक दलों की सहमति, और मजबूत लॉजिस्टिक्स व्यवस्था प्रमुख बाधाएँ हैं। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दों की उपेक्षा का खतरा बना रह सकता है , क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे प्राथमिकता ले सकते हैं। संसाधन प्रबंधन और निर्वाचन आयोग की क्षमता भी महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं। यह शोध-पत्र प्रस्तावित करता है कि समावेशी, पारदर्शी और चरणबद्ध कार्यान्वयन के माध्यम से "एक राष्ट्र, एक चुनाव" भारत के लोकतंत्र को सशक्त कर सकता है। यह नीतिगत सुधार दीर्घकालिक शासन को मजबूत करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने की क्षमता रखता है, बशर्ते इसे सावधानीपूर्वक और सहमति-आधारित दृष्टिकोण के साथ लागू किया जाए।

मुख्य शब्द: एक राष्ट्र एक चुनाव, लोकतंत्र, संवैधानिक सुधार, निर्वाचन प्रक्रिया, प्रशासनिक दक्षता, राजनीतिक सहमति, आर्थिक बचत, प्रशासनिक दक्षता, संघीय ढांचा ।

प्रस्तावना:

भारत, विश्व का सबसे बड़ा और जीवंत लोकतंत्र, अपनी जटिल और व्यापक निर्वाचन प्रक्रिया के लिए जाना जाता है, जो इसकी विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों को दर्शाती है। वर्तमान व्यवस्था में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव अलग-अलग समय पर आयोजित होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बार-बार होने वाले चुनावों

से भारी आर्थिक व्यय और प्रशासनिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग होता है। निर्वाचन आयोग के आँकड़ों के अनुसार, 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग 60,000 करोड़ रुपये का खर्च आया, जो देश की अर्थव्यवस्था और शासकीय प्राथमिकताओं पर भारी पड़ता है। इस संदर्भ में, "एक राष्ट्र, एक चुनाव" की अवधारणा एक परिवर्तनकारी सुधार के रूप में उभरती है, जिसका उद्देश्य इन चुनावों को एक साथ आयोजित कर प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना, आर्थिक संसाधनों की बचत करना और शासन में दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करना है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, भारत में 1951 से 1967 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ आयोजित किए गए थे। यह व्यवस्था समय-पूर्व विधानसभा भंग होने और राजनीतिक अस्थिरता के कारण टूट गई। हाल के वर्षों में, विशेष रूप से 2014 के बाद, इस अवधारणा ने नीति निर्माताओं, विद्वानों और लोकतंत्र के हितधारकों के बीच व्यापक चर्चा को जन्म दिया है। "एक राष्ट्र, एक चुनाव" न केवल शासकीय निरंतरता को बढ़ावा दे सकता है, बल्कि बार-बार चुनावों से उत्पन्न होने वाली नीतिगत रुकावटों को भी कम कर सकता है।

यह शोध-पत्र इस अवधारणा की व्यवहार्यता, इसके संभावित लाभों, कार्यान्वयन में आने वाली संवैधानिक, राजनीतिक और तार्किक चुनौतियों, और भारत के जटिल सामाजिक-राजनीतिक ढांचे पर इसके प्रभावों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसका महत्व भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में सुधार लाने और दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों को समर्थन देने की संभावनाओं में निहित है। यह पत्र न केवल इस सुधार की संभावनाओं को रेखांकित करता है, बल्कि क्षेत्रीय मुद्दों के संतुलन, मतदाता जागरूकता और समावेशी नीति निर्माण की आवश्यकता पर भी बल देता है। इस प्रकार, यह शोध भारत के लोकतंत्र को और अधिक सशक्त और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम प्रस्तुत करता है।

ऐतिहासिक संदर्भ:

"एक राष्ट्र, एक चुनाव" की अवधारणा भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में नई नहीं है, बल्कि इसका आधार स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती दशकों में देखा जा सकता है। 1951 से 1967 तक, भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ आयोजित किए गए, जो उस समय की सीमित संसाधनों और प्रशासनिक क्षमताओं के बावजूद प्रभावी रहे। यह व्यवस्था विधानसभाओं के समय-पूर्व भंग होने और राजनीतिक अस्थिरता के कारण भंग हो गई, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान में बार-बार होने वाली निर्वाचन प्रक्रियाएँ हैं। इस अवधारणा ने समय-समय पर नीति निर्माताओं और विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया है। भारत के निर्वाचन आयोग ने 1983 में इसकी वकालत की, इसे शासकीय और आर्थिक दक्षता बढ़ाने का एक उपाय बताया। इसके बाद, विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट (1999) और संसदीय समिति की 79वीं रिपोर्ट (2015) ने इसकी व्यवहार्यता का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि एकसाथ चुनाव न केवल वित्तीय व्यय को कम करेंगे, बल्कि शासन में निरंतरता और स्थिरता भी लाएँगे। हालांकि, इस अवधारणा पर विद्वानों ने चुनौतियों को भी रेखांकित किया है। CSDS के निदेशक संजय कुमार (2018) ने तर्क दिया कि भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण एकसाथ चुनाव मतदाताओं में भ्रम पैदा कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दे एक साथ उभरने पर मतदाताओं की प्राथमिकताएँ प्रभावित हो सकती हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, स्वीडन और जर्मनी

जैसे देश एकसाथ चुनावों को सफलतापूर्वक आयोजित करते हैं, जो भारत के लिए प्रेरणा हो सकते हैं (Swedish Election Authority, 2022)। फिर भी, भारत की विशाल जनसंख्या, भौगोलिक विस्तार और सामाजिक-राजनीतिक जटिलता इसे एक अद्वितीय चुनौती बनाती है।

पद्धति:

यह शोध गुणात्मक और तुलनात्मक विश्लेषण पर आधारित है। इस संबंध में विधि आयोग, संसदीय समिति की रिपोर्ट, निर्वाचन आयोग के दस्तावेज और शैक्षणिक लेखों की समीक्षा की गयी। भारत की निर्वाचन प्रणाली और स्वीडन, जर्मनी जैसे देशों की प्रणालियों की तुलना। राजनीतिक विद्वानों , नीति निर्माताओं और निर्वाचन विशेषज्ञों के दिये गये साक्षात्कार व लेखों का विश्लेषण किया गया । निर्वाचन आयोग के डेटा (लागत, मतदाता भागीदारी, संसाधन) का विश्लेषण। शोध द्वितीयक स्रोतों पर केंद्रित है, क्योंकि यह नीतिगत और सैद्धांतिक विश्लेषण पर आधारित है। डेटा को टेबल और ग्राफ के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

सांख्यिकीय विश्लेषण:

1. 2019 के लोकसभा चुनाव पर 60,000 करोड़ रुपये खर्च हुए। एक साथ चुनाव लागत को 40-50% तक कम कर सकते हैं, क्योंकि मतदान केंद्र, EVM और सुरक्षा व्यवस्था एक बार ही चाहिए।

लोकसभा चुनावों की लागत

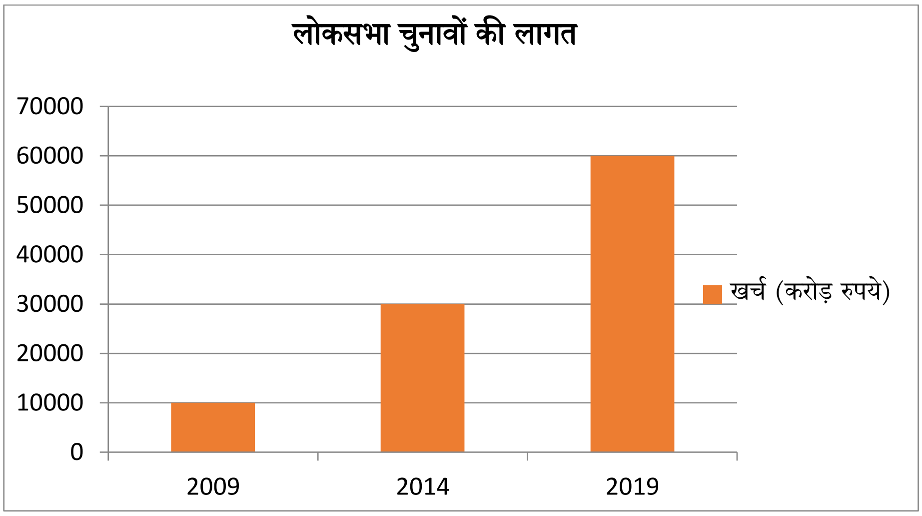

स्रोत: Election Commission of India (2019)

2. 2014-2019 के बीच, भारत में 30 से अधिक विधानसभा चुनाव और एक लोकसभा चुनाव हुए, जिससे प्रशासनिक मशीनरी पर निरंतर दबाव रहा।

3. भारत जैसे अत्यधिक विशाल और विविधता वाले देश में चुनाव करवाने के लिए मानवीय और भौतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है ।

निर्वाचन संसाधन (2019)	
संसाधन	संख्या
मतदाता	91 करोड़
मतदान केंद्र	10.4 लाख
EVM	39 लाख
सुरक्षा बल	10 लाख

एक राष्ट्र, एक चुनाव के लाभ:

"एक राष्ट्र, एक चुनाव" का विचार भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में नीतिगत सुधार का रूप है । यह सुधार न केवल शासकीय प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करेगा, बल्कि आर्थिक, प्रशासनिक और सामाजिक दृष्टिकोण से देश के विकास को गति देने की अपार संभावनाएँ रखता है । इसके लाभ बहुआयामी हैं, जो भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को अधिक प्रभावी, समावेशी और स्थिर बनाने की क्षमता रखते हैं। यह अवधारणा न केवल संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करती है, बल्कि शासन में निरंतरता और नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देकर भारत को वैश्विक मंच पर एक अनुकरणीय मॉडल के रूप में स्थापित कर सकती है।

आर्थिक बचत इस सुधार का एक प्रमुख आकर्षण है। भारत में बार-बार होने वाले चुनावों की लागत अत्यधिक है। निर्वाचन आयोग के आँकड़ों के अनुसार, 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग 60,000 करोड़ रुपये खर्च हुए, जिसमें सरकारी खर्च के साथ-साथ राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों का व्यय भी शामिल है। यदि एकसाथ चुनाव आयोजित किए जाएँ, तो प्रति पाँच वर्ष में हजारों करोड़ रुपये की बचत संभव है। यह राशि शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश की जा सकती है, जो देश की सामाजिक-आर्थिक प्रगति को गति देगा। साथ ही, यह राजनीतिक दलों के लिए भी वित्तीय बोझ कम करेगा, जिससे चुनावी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और किफायती बन सकती है।

प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि इस अवधारणा का अन्य महत्वपूर्ण लाभ है। वर्तमान व्यवस्था में, बार-बार होने वाले चुनावों के कारण सुरक्षा बल, सरकारी कर्मचारी और अन्य संसाधन लंबे समय तक चुनावी कार्यों में व्यस्त रहते हैं, जिससे शासकीय मशीनरी पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। एकसाथ चुनाव होने से ये संसाधन एक निश्चित समयावधि में केंद्रित रूप से उपयोग होंगे, जिससे शेष समय में प्रशासन जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों पर ध्यान दे सकेगा । निर्वाचन आयोग की क्षमता का एकीकृत उपयोग की सुव्यवस्थित योजना से प्रशासनिक प्रक्रियाएँ अधिक प्रभावी और समयबद्ध बनेंगी, जो भारत जैसे विशाल और जटिल देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

नीतिगत स्थिरता और दीर्घकालिक शासन इस सुधार का एक और उल्लेखनीय लाभ है। बार-बार होने वाले चुनाव सरकारों को अल्पकालिक, लोकलुभावन नीतियों की ओर प्रेरित करते हैं, जो दीर्घकालिक विकास

योजनाओं को बाधित करते हैं। एकसाथ चुनाव होने से सरकारें पाँच वर्ष की अवधि में नीतिगत निरंतरता बनाए रख सकेंगी, जिससे बड़े पैमाने पर सुधार और परियोजनाएँ, जैसे स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया, और हरित ऊर्जा पहल, प्रभावी ढंग से लागू हो सकेंगी। यह शासकीय स्थिरता भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास को तीव्र गति प्रदान करेगी।मतदाता भागीदारी में वृद्धि इस अवधारणा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। बार-बार होने वाले चुनावों से मतदाताओं में थकान (voter fatigue) उत्पन्न होती है, जिसके परिणामस्वरूप मतदान प्रतिशत में कमी देखी जाती है। एकसाथ चुनाव होने से मतदाता एक ही बार में राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त कर सकेंगे, जिससे मतदान प्रक्रिया सरल और सुगम होगी। यह न केवल मतदाता सहभागिता को बढ़ाएगा, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक समावेशी और प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाएगा, विशेष रूप से युवा और ग्रामीण मतदाताओं के लिए।अंत में, आचार संहिता का सीमित प्रभाव इस सुधार का एक और महत्वपूर्ण लाभ है। वर्तमान में, बार-बार लागू होने वाली आचार संहिता के कारण नीतिगत निर्णय और विकास कार्य रुक जाते हैं, जिससे शासकीय गतिशीलता प्रभावित होती है। एकसाथ चुनाव होने से आचार संहिता की अवधि कम होगी, जिसके परिणामस्वरूप विकास परियोजनाएँ और नीतिगत कार्यान्वयन निर्बाध रूप से चल सकेंगे। यह शासन को अधिक उत्तरदायी और जन-केंद्रित बनाएगा, जो भारत जैसे विविध और गतिशील लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है।निष्कर्षतः, "एक राष्ट्र, एक चुनाव" आर्थिक बचत, प्रशासनिक दक्षता, नीतिगत स्थिरता, बढ़ी हुई मतदाता सहभागिता और आचार संहिता के कम प्रभाव जैसे लाभों के साथ भारत के लोकतंत्र को नई दिशा दे सकता है।

चुनौतियां:

"एक राष्ट्र, एक चुनाव" की अवधारणा भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में एक साहसिक सुधार है। हालांकि, इसे लागू करने में कई जटिल और बहुआयामी चुनौतियाँ हैं, जो संवैधानिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, और सामाजिक दृष्टिकोण से भारत की विविध और जटिल संरचना को प्रभावित करती हैं। इन चुनौतियों का समाधान किए बिना इस सुधार को साकार करना कठिन होगा, और इसके लिए व्यापक सहमति, नीतिगत नवाचार, और मजबूत तकनीकी ढांचे की आवश्यकता है। संवैधानिक और कानूनी बाधाएँ इस अवधारणा के कार्यान्वयन में एक प्रमुख रुकावट हैं। भारत का संविधान लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए पाँच वर्ष का निश्चित कार्यकाल निर्धारित करता है (अनुच्छेद 83 और 172)। यदि कोई विधानसभा समय से पहले भंग होती है, तो नए सिरे से चुनाव आवश्यक हो जाते हैं, जो एकसाथ चुनावों की व्यवस्था को जटिल बनाता है। इस अवधारणा को लागू करने के लिए अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन आवश्यक होंगे ताकि कार्यकालों को समन्वित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) में बदलाव की आवश्यकता होगी ताकि राज्यों में असामयिक परिस्थितियों को संभाला जा सके। एकसाथ चुनावों के लिए एक नया कानूनी ढांचा और चुनावी नियमों में व्यापक संशोधन अनिवार्य होंगे। इन संशोधनों के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत और आधे से एक अधिक राज्य विधानसभाओं की सहमति आवश्यक है, जो एक जटिल और समय-गहन प्रक्रिया है।

राजनीतिक सहमति की कमी अन्य महत्वपूर्ण चुनौती है। भारत की बहुदलीय प्रणाली में विभिन्न दलों के हित और विचारधारा भिन्न हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इस अवधारणा का समर्थन करती है, लेकिन कई विपक्षी दल, जैसे कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, और वामपंथी दल, इसे केंद्र सरकार की शक्ति को बढ़ाने और क्षेत्रीय स्वायत्तता को कम करने के प्रयास के रूप में देखते हैं। क्षेत्रीय दलों को विशेष रूप से यह चिंता है कि एकसाथ चुनावों में राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो सकते हैं, जिससे उनकी स्थानीय प्रासंगिकता और प्रभाव कम हो सकता है। इस तरह के मतभेदों को दूर करने के लिए व्यापक राजनीतिक संवाद और सहमति निर्माण आवश्यक है, जो भारत की खंडित राजनीतिक परिदृश्य में एक कठिन कार्य है। प्रशासनिक और तकनीकी चुनौतियाँ भी इस सुधार को लागू करने में एक बड़ी बाधा हैं। भारत में लगभग 90 करोड़ मतदाता हैं, और एकसाथ चुनावों के लिए लाखों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) और वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) मशीनों की आवश्यकता होगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग 18 लाख EVM का उपयोग हुआ था, और एकसाथ चुनावों के लिए इस संख्या को दोगुना करना पड़ सकता है। इसके लिए व्यापक स्तर पर उत्पादन, भंडारण, और वितरण की व्यवस्था करनी होगी। इसके अतिरिक्त, सुरक्षा बलों की उपलब्धता, मतदान केंद्रों का प्रबंधन, और लॉजिस्टिक्स की योजना एक साथ इतने बड़े पैमाने पर चुनाव आयोजित करने में एक जटिल चुनौती होगी। निर्वाचन आयोग की वर्तमान क्षमता को इस स्तर के लिए सुदृढ़ करना अनिवार्य है।

भारत का संघीय ढांचा भी इस अवधारणा के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करता है। भारत का संविधान राज्यों को शासकीय स्वायत्तता प्रदान करता है, और क्षेत्रीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों से भिन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में स्थानीय मुद्दे, जैसे भाषा, संस्कृति, या क्षेत्रीय विकास, राष्ट्रीय विमर्श से अलग होते हैं। एकसाथ चुनाव होने पर राष्ट्रीय मुद्दों का प्रभुत्व स्थानीय चिंताओं को हाशिए पर धकेल सकता है, जिससे क्षेत्रीय असंतोष बढ़ सकता है। यह भारत की संघीय संरचना के मूल सिद्धांतों को चुनौती दे सकता है।असमय सरकार भंग होने की स्थिति एक और जटिल चुनौती है। यदि कोई राज्य विधानसभा या लोकसभा समय से पहले भंग हो जाती है, तो क्या पूरे देश में फिर से चुनाव आयोजित होंगे, या केवल उस राज्य में, इस स्थिति को संभालने के लिए स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान और नीतियों की आवश्यकता होगी । इस प्रकार "एक राष्ट्र, एक चुनाव" को लागू करने में संवैधानिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, और संघीय चुनौतियाँ इसे एक जटिल सुधार बनाती हैं। इन बाधाओं को दूर करने के लिए व्यापक नीतिगत चर्चा, समावेशी दृष्टिकोण, और मजबूत तकनीकी ढांचे की आवश्यकता होगी। यदि इन चुनौतियों का समाधान सावधानीपूर्वक और आम सहमति से किया जाए, तो यह सुधार भारत के लोकतंत्र को न केवल सशक्त करेगा, बल्कि इसे अधिक प्रभावी और समावेशी भी बनाएगा।

भारत के लोकतांत्रिक ढांचे पर प्रभाव:

"एक राष्ट्र, एक चुनाव" की अवधारणा, जो लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को एक साथ आयोजित करने का प्रस्ताव करती है, भारत के लोकतांत्रिक ढांचे पर गहरा और बहुआयामी प्रभाव डाल सकती है। यह सुधार भारत के जटिल सामाजिक-राजनीतिक ताने-बाने में व्यापक सुधार करने की क्षमता रखता है, जो विश्व का सबसे बड़ा और विविधतापूर्ण लोकतंत्र है। यह अवधारणा लोकतांत्रिक जवाबदेही, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व,

चुनावी प्रक्रिया की अखंडता, और मतदाता व्यवहार जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रभावित कर सकती है। इसके प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं, जो इस सुधार के कार्यान्वयन की रणनीति और समावेशिता पर निर्भर करेंगे। इस प्रकार, यह भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को अधिक प्रभावी बनाने के साथ-साथ नई चुनौतियाँ भी प्रस्तुत करता है।

लोकतांत्रिक जवाबदेही पर इस अवधारणा का प्रभाव एक महत्वपूर्ण पहलू है। वर्तमान व्यवस्था में, बार-बार होने वाले चुनाव सरकारों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाए रखते हैं, क्योंकि मतदाता समय-समय पर अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। एकसाथ चुनाव होने से यह जवाबदेही पाँच वर्ष के अंतराल तक सीमित हो सकती है, जिससे सरकारें अल्पकालिक लोकलुभावन नीतियों से बच सकती हैं, लेकिन साथ ही यह जनता की तत्काल चिंताओं को संबोधित करने की उनकी जवाबदेही को कमजोर भी कर सकता है। यदि कोई सरकार समय से पहले भंग होती है, तो इसे संभालने के लिए स्पष्ट तंत्र की अनुपस्थिति जवाबदेही को और जटिल बना सकती है। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया की गतिशीलता को प्रभावित कर सकता है, जो भारत जैसे विविध देश में जनता की आवाज को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय दलों की भूमिका भी इस सुधार से प्रभावित हो सकती है। भारत की बहुदलीय प्रणाली में क्षेत्रीय दल, जैसे द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK), तृणमूल कांग्रेस (TMC), और समाजवादी पार्टी (SP), स्थानीय मुद्दों और पहचान को प्रतिनिधित्व देते हैं। एकसाथ चुनाव होने से राष्ट्रीय दल, जैसे भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस, को लाभ हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे, जैसे आर्थिक नीतियाँ या राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रभुत्व जमा सकते हैं। उदाहरण के लिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों ने स्थानीय चिंताओं को गौण कर दिया था। इससे क्षेत्रीय दलों की प्रासंगिकता और प्रभाव कम हो सकता है, जो भारत के संघीय ढांचे के लिए एक चुनौती हो सकती है। यह स्थिति क्षेत्रीय असंतुलन और असंतोष को जन्म दे सकती है, जो भारत की एकता और विविधता के सिद्धांतों को प्रभावित कर सकती है।

एक साथ चुनावों में सुरक्षा व्यवस्था, मानवीय और भौतिक संसाधनों की उपलब्धता एक गंभीर चिंता है। एकसाथ चुनावों का पैमाना अभूतपूर्व होगा, जिसमें लगभग 90 करोड़ मतदाताओं, लाखों मतदान केंद्रों, और व्यापक स्तर पर EVM और VVPAT मशीनों की आवश्यकता होगी। इतने बड़े पैमाने पर चुनाव आयोजित करने से प्रशासनिक दबाव बढ़ेगा, जिससे सुरक्षा व्यवस्था में कमी, मतदान केंद्रों पर अव्यवस्था, और धांधली की संभावना बढ़ सकती है। विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों, जैसे जम्मू-कश्मीर या पूर्वोत्तर राज्यों में, जहाँ पहले से ही सुरक्षा चुनौतियाँ हैं, यह स्थिति और जटिल हो सकती है। निर्वाचन आयोग की क्षमता और संसाधनों को इस स्तर की चुनौती के लिए तैयार करना एक कठिन कार्य होगा, जो चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकता है। मतदाता व्यवहार पर भी इस सुधार का प्रभाव पड़ सकता है। एकसाथ चुनाव होने से मतदाता राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों को एक साथ मिलाकर मतदान कर सकते हैं, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। स्थानीय मुद्दे, जैसे जल संकट या ग्रामीण विकास, उपेक्षित हो सकते हैं। यह मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित कर सकता है, जिससे उनकी प्राथमिकताएँ पूरी तरह से प्रतिबिंबित नही हो पाएगी।

E-ISSN: 3049-0707, P-ISSN: 3049-172X, Volume 2 | Issue 2 | (Apr – Jun 2025)

"एक राष्ट्र, एक चुनाव" की व्यवस्था मतदाता भागीदारी को बढ़ा सकता है, क्योंकि एक ही बार में मतदान करने की सुविधा से मतदाता थकान (voter fatigue) कम हो सकती है। फिर भी, मतदाता जागरूकता और शिक्षा के बिना यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है । "एक राष्ट्र, एक चुनाव" भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को सशक्त करने की क्षमता रखता है, लेकिन यह जवाबदेही, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, और चुनावी अखंडता जैसे क्षेत्रों में नई चुनौतियाँ भी लाता है। इन प्रभावों को संतुलित करने के लिए समावेशी नीति निर्माण, मजबूत तकनीकी ढांचा, और व्यापक जागरूकता अभियान आवश्यक होंगे। यदि इन पहलुओं को सावधानीपूर्वक संबोधित किया जाए, तो यह सुधार भारत के लोकतंत्र को और अधिक गतिशील और समावेशी बना सकता है।

नीतिगत सुझाव:

"एक राष्ट्र, एक चुनाव" की अवधारणा को लागू करने के लिए व्यावहारिक और समावेशी नीतिगत सुझाव दिए जा सकते हैं, जो भारत के जटिल लोकतांत्रिक ढांचे को सशक्त करने के साथ-साथ इसकी विविधता और संघीय संरचना का सम्मान करें। यह सुधार आर्थिक बचत, प्रशासनिक दक्षता और शासकीय स्थिरता को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन इसके कार्यान्वयन के लिए संवैधानिक, राजनीतिक और तकनीकी चुनौतियों का समाधान आवश्यक है। संवैधानिक सुधारों के लिए एक ठोस ढांचा विकसित करना अनिवार्य है। लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल को समन्वित करने के लिए अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन आवश्यक होंगे। साथ ही, असमय सरकार भंग होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन या वैकल्पिक व्यवस्थाओं के लिए अनुच्छेद 356 में स्पष्ट प्रावधान किए जाने चाहिए। इन संशोधनों के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत और राज्य विधानसभाओं की सहमति आवश्यक है। इसके लिए एक राष्ट्रीय संवाद शुरू किया जाए, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, संवैधानिक विशेषज्ञ, और नागरिक समाज शामिल हों। यह संवाद पारदर्शी और समावेशी हो, ताकि सभी हितधारकों की चिंताओं को संबोधित किया जा सके।

राजनीतिक सहमति निर्माण के लिए एक सर्वदलीय समिति का गठन किया जाए। भारत की बहुदलीय प्रणाली में विभिन्न दलों के बीच मतभेद एक प्रमुख चुनौती हैं। इस समिति में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधियों को शामिल कर "एक राष्ट्र, एक चुनाव" के लाभ, चुनौतियों और कार्यान्वयन की रणनीतियों पर गहन चर्चा की जाए। यह समिति क्षेत्रीय दलों की चिंताओं, जैसे राष्ट्रीय मुद्दों के प्रभुत्व को कम करने और स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता देने, पर विशेष ध्यान दे। नियमित बैठकों और पारदर्शी संवाद के माध्यम से यह समिति राजनीतिक सहमति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

पायलट प्रोजेक्ट के रूप में छोटे राज्यों, जैसे गोवा, मणिपुर, और उत्तराखंड, में एकसाथ चुनाव आयोजित किए जाएँ। इन राज्यों में अपेक्षाकृत कम जनसंख्या और मतदाता आधार होने से संसाधन प्रबंधन का परीक्षण करना आसान होगा। इन पायलट प्रोजेक्ट्स के परिणामों का गहन विश्लेषण कर राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन की रणनीति तैयार की जाए। यह दृष्टिकोण तकनीकी और प्रशासनिक चुनौतियों, जैसे EVM और VVPAT की उपलब्धता, सुरक्षा व्यवस्था, और मतदाता व्यवहार, को समझने में सहायक होगा। इन प्रोजेक्ट्स से प्राप्त अनुभव राष्ट्रीय स्तर पर सुधार के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेंगे।

मतदाता जागरूकता और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय अभियान चलाया जाए। "एक राष्ट्र, एक चुनाव" के लाभ, जैसे आर्थिक बचत और नीतिगत स्थिरता, साथ ही इसकी चुनौतियों को जनता तक पहुँचाने के लिए सोशल मीडिया, टेलीविजन, रेडियो, और स्थानीय भाषाओं में जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए जाएँ। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय नेताओं, गैर-सरकारी संगठनों, और शैक्षिक संस्थानों को शामिल कर जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। यह अभियान मतदाताओं को राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों के बीच संतुलन को समझने में मदद करेगा, जिससे भ्रम की स्थिति कम होगी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी सक्रिय सहभागिता बढ़ेगी।इन नीतिगत सुझावों—संवैधानिक सुधार, सर्वदलीय सहमति, पायलट प्रोजेक्ट्स, और जागरूकता अभियान—के माध्यम से "एक राष्ट्र, एक चुनाव" को व्यवहारिक रूप से लागू किया जा सकता है। यदि इन्हें समावेशी, पारदर्शी, और चरणबद्ध दृष्टिकोण के साथ लागू किया जाए, तो यह सुधार भारत के लोकतंत्र को अधिक सशक्त, गतिशील, और समावेशी बनाएगा, जो वैश्विक स्तर पर एक अनुकरणीय मॉडल के रूप में उभर सकता है।

निष्कर्ष:

"एक राष्ट्र, एक चुनाव" की अवधारणा भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को एक साथ आयोजित करने का महत्वाकांक्षी प्रयास है। यह शासकीय प्रक्रियाओं को सुचारु बनाकर, वित्तीय संसाधनों का संरक्षण करके और नीतिगत स्थिरता को बढ़ावा देकर शासन को अधिक प्रभावी बना सकता है। बार-बार होने वाले चुनाव शासन पर वित्तीय और प्रशासनिक बोझ डालते हैं, जिससे नीति निर्माण और विकास कार्य बाधित होते हैं। यह मतदाताओं के लिए निर्वाचन प्रक्रिया को सरल करेगा और उनकी सहभागिता को प्रोत्साहित करेगा। इसके बावजूद, इस अवधारणा को लागू करना आसान नहीं है। संविधान में संशोधन, सभी राजनीतिक दलों का एकमत होना और मजबूत तकनीकी बुनियादी ढांचा इसके कार्यान्वयन के लिए अनिवार्य हैं। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है, ताकि स्थानीय चिंताएँ दब न जाएँ। मतदाता शिक्षा को बढ़ावा देना और निर्वाचन आयोग की क्षमता को सुदृढ़ करना भी इसकी सफलता के लिए अपरिहार्य है। इसके अतिरिक्त, इतने बड़े पैमाने पर एकसाथ चुनाव आयोजित करने के लिए संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन और बुनियादी ढांचे का विकास अनिवार्य है। समावेशी दृष्टिकोण, पारदर्शी और चरणबद्ध क्रियान्वयन, प्रायोगिक परियोजनाओं के माध्यम से इस अवधारणा का परीक्षण, सभी राजनीतिक दलों व पक्षों के साथ गहन विचार-विमर्श और सहमति पर आधारित नीति निर्माण इसे वास्तविकता में बदलने में सहायक होगा। यदि इसे पारदर्शिता सावधानीपूर्वक और आम सहमति-आधारित दृष्टिकोण के साथ लागू किया जाए, तो "एक राष्ट्र, एक चुनाव" भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को न केवल मजबूत करेगा, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर एक प्रेरणादायक पहल के रूप में स्थापित करेगा।

संदर्भ:

1. नीति आयोग (2018). "एक राष्ट्र, एक चुनाव: एक विश्लेषण"
2. भारत निर्वाचन आयोग (2020). "लोकसभा चुनाव 2019: खर्च और आँकड़े"
3. राम नाथ कोविंद समिति (2023). "एक राष्ट्र, एक चुनाव: संभावनाएँ और चुनौतियाँ"
4. विभिन्न समाचार पत्र और पत्रिकाएँ (2014-2025).

E-ISSN: 3049-0707, P-ISSN: 3049-172X, Volume 2 | Issue 2 | (Apr – Jun 2025)

5. विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट (1999)
6. Sanjay kumar (2018). "Simultaneous Elections in India: Prospects and Challenges." Economic and Political Weekly.
7. General Elections in Sweden: Structure and Outcomes.
8. Federalism in India: Challenges and Prospects.NITI Aayog (2017).
9. Discussion Paper on Simultaneous Elections: Constitutional and Legal Perspectives.